बिहार स्टेट फूड एण्ड सिविल सप्लाईज कॉरपोरेशन, लि0,

"खाद्य भवन", दारोगा राय पथ, आर0ब्लॉक, रोड नं0 2, पटना 800001

कार्यालय आदेश

निगम मुख्यालय आदेश ज्ञापांक 10691 दिनांक 12.10.18 से कंपनी सचिव(पूर्णकालिक)वेतनमान PB-3+7600 के पद पर संविदा पर नियोजन हेतु निगम बेवसाईट एवं दैनिक हिन्दी समाचार पत्र में सूचना प्रकाशित की गयी।

विशेषज्ञ समिति द्वारा लिये गये साक्षात्कार एवं स्थायी स्थापना समिति की दिनांक 26.02.19 को हुई बैठक में वरीयता सूची के अनुसार श्रीमती रचना को कंपनी सचिव(पूर्णकालिक)के पद पर संविदा के आधार पर नियोजन की अनुशंसा की गयी है।

इस प्रकार स्थायी स्थापना समिति के अनुशंसा के आलोक में श्रीमती रचना को बिहार राज्य खाद्य निगम में कंपनी सचिव(पूर्णकालिक) के पद पर संविदा के आधार पर प्रथमतः एक वर्ष के लिए निम्न प्रकार नियोजित किया जाता है–

क्र0	नाम	पदनाम	जन्मतिथि	संविदा पर नियोजन की तिथि
1	श्रीमती रचना	कंपनी सचिव(पूर्णकालिक) (संविदा)	26-10-1985	योगदान की तिथि से एक वर्ष तक के लिए

शर्तेः–

(i). उक्त नियोजन एक वर्ष के लिए होगा। कार्यकलाप संतोषजनक पाये जाने पर उनकी सेवा आगामी एक–एक वर्ष के लिए विस्तार किया जा सकेगा। उक्त नियुक्ति अधिकतम तीन वर्ष के लिए होगी।

(ii). इन्हें एकमुश्त कुल 55000/–रू0 मासिक मानदेय का भुगतान किया जायेगा। इसके अतिरिक्त कोई अन्य भत्ता आदि देय नहीं होगा।

(iii). नियोजित कंपनी सचिव द्वारा किये जा रहे कार्यो की समीक्षा समय–समय पर की जायेगी और यदि कार्य संतोषजनक नहीं पाया गया तो उन्हें सेवा से हटाया जा सकेगा।

(iv). उक्त पद पर नियमित नियुक्ति होने पर नियोजित कर्मी की सेवा स्वतः समाप्त हो जायेगी।

(v). संविदा पर नियोजित कंपनी सचिव को इस नियोजन के आधार पर सरकारी सेवकों की देय कोई अन्य सुविधा अनुमान्य नहीं होगी।

(vi). इस नियोजन के आधार पर भविष्य में नियमित नियुक्ति हेतु कोई दावा अनुमान्य नहीं होगा।

(vii). नियुक्त संविदा कंपनी सचिव को 1000/–रू0 के ननजुडिसियल स्टाम्प पर एकरारनामा करना अनिवार्य होगा।

(viii). संविदा की अवधि समाप्ति के पूर्व उसका विस्तार नहीं होता है तो ऐसी नियुक्ति स्वतः समाप्त समझी जायेगी।

(ix). संविदा पर नियोजित कंपनी सचिव के विरूद्ध अनुशासनिक/अपराधिक मामला, क्षति/गबन का मामला पाये जाने पर संविदा बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त कर दी जायेगी।

(x). यदि नियोजित कंपनी सचिव के शैक्षणिक प्रमाण पत्र,आयु प्रमाण पत्र,आवासीय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र,अनुभव प्रमाण पत्र इत्यादि में किसी प्रकार की कोई गलत सूचना अथवा जाली पाये जाने पर नियोजित कर्मी की सेवा तत्कालिक प्रभाव से समाप्त कर दी जायेगी एवं उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जायेगी तथा भुगतान किये गये मानदेय को जब्त करने की कार्रवाई की जायेगी।

प्रबंध निदेशक के आदेश से।

ह0/–

उप महाप्रबंधक,प्रशासन

ज्ञापांकः–3:02:127:01:2018 2665 दिनांक– 02.03.19

प्रतिलिपि–श्रीमती रचना,B-31,Patrakar Nagar,Kankarbagh,Patna-20 Email ID- rachna.world.india @gmail.com को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि–सभी उप महाप्रबंधक,विपत्र लिपिक,निगम मुख्यालय,पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि–सभी महाप्रबंधक,निगम मुख्यालय को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि–मुख्य महाप्रबंधक,अधिप्राप्ति/मुख्य महाप्रबंधक,जनवितरण,मुख्य सर्तकता पदाधिकारी, निगम मुख्यालय को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि–अपर सचिव,खाद्य एवं उपभोक्ता सरंक्षण विभाग,बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

2.3.19

उप महाप्रबंधक,प्रशासन